न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः पर्वत सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 10/2014

1. विक्रम पिता स्व.श्री विरिया जाति भील आयु वयस्क ,निवासी पिपलोद
2. सुखराम नाबालिग संरक्षक वलिये माता श्रीमती कमला पत्नी स्व.श्री विरिया ,जाति भील,निवी पिपलोद
3. श्रीमती कमला पत्नी स्व.श्री विरिया जाति भील ,आयु वयस्क ,निवासी पिपलोद
4. गौतम पिता स्व.श्री धुलजी,जाति भील निवासी पिपलोद
5. सन्जु नाबालिग संरक्षक वलिये माता श्रीमती लक्ष्मी पत्नी स्व.श्री धुलजी जाति भी निवासी पिपलोद
6. सुरज नाबालिग संरक्षक वलिये माता श्रीमती लक्ष्मी पत्नी स्व.श्री धुलजी जाति भी निवासी पिपलोद
7. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी स्व.श्री धुलजी जाति भी निवासी पिपलोद सभी वादीगण निवासीयान पिपलोद,तहसील व जिला बांसवाडा(राज.)
8. हरिष पिता स्व.श्री बलिया,जाति भील ,निवासी पिपलोद
9. श्रीमती चौखी पत्नी स्व.बलिया जाती भील निवासी पिपलोद
10. बहादुर पिता स्व.रकमा,जाति भील ,निवासी पिपलोद
11. प्रकाष पिता स्व.रकमा जाति भील,निवासी पिपलोद
12. श्रीमती गलवी पत्नी स्व.रकमा,जाति भील ,निवासी पिपलोद
13. दिनेष पिता स्व.कालु ,जाति भील निवासी पिपलोद
14. मुकेष पिता स्व.कालु जाति भील निवासी पिपलोद
15. श्रीमती गंगा पत्नी स्व.कालु ,जाति भील निवासी पिपलोद
16. बापुलाल पिता स्व. दीपा जाति भील,निवासीयान पिपलोद ,तहसील व जिला बांसवाडा राजस्थान ।

वादीगण

बनाम

1- श्रीमती कुंवरी पत्नी रामा,जाति भील,उम्र वयस्क ,निवासी पिपलोद,तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)

2- श्रीमान् तहसीलदार बांसवाडा राजस्थान

प्रतिवादीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :- 25-11-2019

प्रार्थना पत्र के प्रतिउत्तर में प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत किया की पक्षकारो का कुसंयोजन व असंयोजन है। वाद परिसिमा में भी नही है । वसीयत वैध है या अवैध इकी जांच करने की राजस्व न्यायालय को अधिकारीता नही है । वसीयत में प्रावेट की भी कानूनन आवष्यकता नही है । उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय की अधिकारीता क्षैत्र व श्रवणाधिकार का नहीं होने से अपारतनीय है । उक्त आराजी ख.न. 50 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा पुना पिता माना के खातेदारी में रहा है लेकिन यह तथ्य गलत है की प्रष्नगत आराजी पर प्रार्थीगण का

Scanned by CamScanner

आधिपत्य हो । अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार कृषक है तथा खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा नही जारी की जा सकती यह एक सुस्थापित सिद्वान्त है । मूल वाद धारा 88,राज.काष्तकारी अधिनियम का है । मूल वाद में आदेष 6 नियम 17 का प्रार्थना पत्र उसमें पेंडिंग को संषोधित करने का प्रार्थना–पत्र लगा हुआ है । उसमें पेंडिग को संषोधित करने का प्रार्थना पत्र लगा हुआ है । अगर स्थगन दिया जाता है तो हमें अपूरणीय क्षति होगी ।अतः वादी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावे ।

मेने उभयपक्ष के कथन व बहस पर मनन् किया । यह सही है कि वसीयत का नामान्तरकरण से प्रष्नगत भूमि प्रतिवादी के नाम आई है । तथा वर्तमान में प्रतिवादी के नाम से खातेदार ह से दर्ज रिकार्ड है । वादी ने यह अधिकारो की घोषणाका वाद संस्थित किया है , न कि नामान्तरकरण की अपील /सम्पूर्ण विवचन के पष्चात इस निष्कर्ष पर पहुचा हूं की प्रष्नगत नामान्तरकरण को निरस्त किये बिना खातेदार को उसके खातेदारी अधिकारों के वंचित करना में उचित नही समझता हूं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम अस्वीकार किया जाता है ।

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2019.12.10 13:52:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: